उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

F.No. NRC/NCTE/GIS Mela/2015/ /33174

Date: 06 JAN 2016

RO/2708
15-1-16

To,

The Registrar,
Kumaun University,
Nanital, Uttarakhand – 263001.

Sub: Forwarding of letter for origination GIS Mela in the office of NRC, NCTE for filing of GIS.

Sir,

I am to forward herewith a letter dated 22.12.2015 regarding details of documents to be required for GIS filing and Districtwise, Statewise schedule of GIS with the request that you may kindly direct the teacher education institution recognized by NRC, NCTE, Jaipur for any teacher education institution, to attend GIS Mela as per the date time and venue mentioned in the schedule annexed with this letter.

You may appreciate that the Ministry of HRD, Govt. of India has been keenly interested in GIS filing by the institutions so as to ensure exact location of teacher education institutions granted recognition by NCTE. Therefore, I personally request you to issue instructions to all the teacher education under your control to participate in the GIS Mela as per the schedule attached with the letter alongwith the required documents. The Office of the NRC-NCTE, Jaipur will help them out to file GIS that will save their institution from action to be taken by NCTE treating as a violation of NCTE Act and Regulations issued there under.

Thank you,

Yours faithfully,

(Dr. S.K. Chauhan)
Regional Director

के ...
आपके से...
चुकी ~~है ऐसा के~~

कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल ।

पृष्ठांकन सं० / मा०/871 दि० . 19-01-2015 .

1- संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय एस०एस०जे० परिसर अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित ।

2- समस्त बी०एड० महाविद्यालय / स्ववित्त पोषित बी०एड संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कुलसचिव

कार्यालय : चौथी मंजिल, जीवन निधी–II, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल
भवानी सिंह मार्ग, जयपुर–302 005 (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone No 0141-2744288, 2744635, Fax : 0141-2744173

...or, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle,
... Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan)
... Uttranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
...-india.org, Website : www.ncte-india.org

उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

आवश्यक सूचना

अध्यापक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा जी आई एस विषयक् जानकारी एन.सी.टी.ई की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबन्ध में

यह सूचना उन सभी संस्थानों के लिए है जिनको उत्तर क्षेत्रीय समिति से अध्यापक शिक्षा के किसी भी पाठ्यक्रम के लिए विगत में मान्यता प्रदान की जा चुकी है। मानव संसाधन विकास मत्रालय के आदेश पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मुख्यालय, नई दिल्ली, ने अपनी वेबसाइट www.ncte-india.org के मुख्य पृष्ठ पर जी आई एस नाम से आइकन बनाया है इस आइकन को प्रयोग में लाते हुये जी आई एस संबन्धी जानकारी के लिए जी आई एस आवेदन भरना सभी अध्यापक शिक्षा के पाठ्यकमों के संस्थानो के लिए अनिवार्य है, उत्तर क्षेत्रीय समिति ने विगत में इस संबन्ध में समाचार पत्रों के द्वारा एवं वेबसाइट पर सूचना के द्वारा सभी अध्यापक शिक्षा के संस्थानों को निर्देशित किया था कि वे जी आई एस विषयक् जानकारी कार्यालय की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर 2015 तक अपलोड करें तथा भरी हुई जानकारी का प्रिन्ट आउट उत्तर क्षेत्रीय समिति कार्यालय में जमा करायें। इसके परिणाम स्वरुप अब तक लगभग 2400 संस्थानों ने जी आई एस की जानकारी उत्तर क्षेत्रीय समिति की वेबसाइट पर अपलोड की है। यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि लगभग 4000 हजार संस्थानों ने अभी तक यह जानकारी नही भरी है तथापि जिन 2400 संस्थानों ने जानकारी भरी है वह भी अपूर्ण है ऐसी स्थिति में आज तक केवल 175 संस्थानों के जी आई एस को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर पूर्ण मानते हुए अपलोड किया जा सका है जबकि यह जानकारी अनिवार्यतः सभी संस्थानों को भरना आवश्यक है।

इस संदेश के माध्यम से सभी अध्यापक शिंक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि जी आई एस विषयक् जानकारी हेतु उत्तर क्षेत्रीय समिति के जयपुर स्थित कार्यालय में जी आई एस मेला आयोजित किया जा रहा है जो कि 28 दिसम्बर 2015 से प्रारम्भ होगा। इस मेले में अपनी संस्था के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अपने संस्थान की जी आई एस विषयक् जानकारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड होना सुनिश्चित कराने के लिए भाग लेना सुनिश्चित करायें। आपके संस्थान, जनपद तथा राज्य के हिसाब से एक समय सारणी तैयार की गई है जिसके अनुसार आप इस पत्र के साथ संलग्नक (1) पर अंकित तथ्य/जानकारी/सामाग्री के साथ कार्यालय में उपस्थित हों, तथा इस सूचना पर गहनता से विचार करते हुये यह सुनिश्चित करायें कि आपके संस्थान की जी आई एस विषयक् जानकारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है ऐसा करने से आप अपने संस्थान के विरुद्ध कि जाने वाली कार्यवाही से अपने संस्थान को बचा सकेगें।

Chauhan 22/12/15

डॉ० एस० के० चौहान
क्षेत्रीय निदेशक
उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

कार्यालय : चौथी मंजिल, जीवन निधी-II, एल.आई.सी. बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302 005 (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone No. 0141-2744288, 2744635, Fax : 0141-2744173

Office : 4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle, Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan)
Jurisdiction : U.P., Uttranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-mail : nrc@ncte-india.org, Website : www.ncte-india.org

ANNEXURE-I

संस्था से संबंधित निम्न सूचनाएं / दस्तावेज अपनी पैन ड्राइव में भरकर सभी दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों ।

S.No.	*Particulars of the information / document.*	*To be filled / provided by the institution*
1.	Name of the institution.	
2.	Address of the institution.	
3.	Name of the managing society / trust / company.	
4.	Scanned soft copy of the recognition/revised recognition Order	
5.	Management category (Govt. / Govt. unaided / Deemed University / Private University / Central University / State University / self-financed private institution).	
6.	Proof of composite institution.	
7.	Proof regarding Minority Institution, if any.	
8.	Scanned soft copy of signature of the authorised signatory .	
9.	Scanned passport size photograph of the authorised signatory.	
10.	Longitude and Latitude position of the Institution	
11.	E-mail ID of the institution / authorized signatory.	
12.	Website address of functional website of the institution.	
13.	Name, designation and Mobile number of the authorized signatory of the institution.	
14.	Seal of the institution	
15.	Land line number of the Institution	

उपरोक्त प्रपत्र को भरने में यदि संस्था को कोई कठिनाई आती है तो उसके लिए विलम्ब न करें तथा निर्धारित समय पर कार्यालय में दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों । सभी सूचना उपरोक्त प्रपत्र में भरने के लिए कार्यालय में उचित व्यवस्था की गई है ।